न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस संख्या: 3949 / 1022 / 2015 दिनांकः– 26.09.2016

<u>के मामले में</u>

श्री राजन कुमार साह,
पुत्र श्री मदन कुमार साह,
मु. कालीवेदी, वार्ड नं. – 12,
रोसडा घाट, जिला – समस्तीपुर,
बिहार – 848210 ..... शिकायतकर्ता

बनाम

अध्यक्ष,
केन्द्रीय जल आयोग,
जल संसाधन मंत्रालय,
सेवा भवन, आर. के. पुरम,
नई दिल्ली–110066 ..... प्रतिवादी

सुनवाई की तारीखः 04.07.2016

<u>उपस्थितः</u>

1. श्री राजन कुमार साह, शिकायतकर्ता ।
2. सर्वश्री टी.पी. कैरकैटा, निदेशक (प्रशा.), श्री एच.एस. सींगर, निदेशक एवं श्री अजय गैरोला, अवर सचिव, प्रतिवादी की ओर से ।

<u>आदेश</u>

उपरोक्त शिकायतकर्ता, जोकि 60 प्रतिशत अस्थिबाधित व्यक्ति है, ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत अपने पिता श्री मदन कुमार साह के चेन्नई से पटना स्थानान्तरण करवाने से संबंधित शिकायत दिनांक 17.03.2015 इस न्यायालय में प्रस्तुत की।

2. शिकायतकर्ता का कहना है कि उनके पिता केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के रूप में उनके घर से 3500 किलोमीटर सुदूर दक्षिण भारत में करीब पांच वर्षो से पद–स्थापित हैं । जिस कारण उनकी देख–रेख, ईलाज, पढ़ाई–लिखाई सही ढंग से नहीं हो पा रहा है । इतना ही नहीं उनकी देख–रेख, खाना–पानी देने वाली एक बूढ़ी दादी की मृत्यु गत वर्ष हो गई है। अब वे बेसहारा हो गए हैं । उनके पिता अपनी डयूटी पर रहते हैं और उनका भी हमारी चिंता के कारण मानसिक संतुलन तथा स्वास्थ्य हमेशा खराब रहने के कारण उनकी

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001; दूरभाषः 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in

(कृपया भविष्य में पत्राचार के लिए उपरोक्त फाईल / केस संख्या अवश्य लिखें)
(Please quote the above file/case number in future correspondence)

मां को उनके पिता के साथ रहना पड़ता है । उनका सारा वित्तीय हित एवं स्वास्थ्य संबंधित कार्य उनके पिता पर आश्रित है, परन्तु इतनी दूरी से उनके पिता को आने–जाने एवं छुट्टी मिलने में काफी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अतः उनके पिता का स्थानान्तरण मध्य–गंगा डिवीज़न–4, पटना, बिहार के किसी निकटतम केन्द्र पर करने के लिए अनुरोध है ताकि वे अपनी डयूटी करते हुए मेरी देख–रेख एवं इलाज कर सके ।

3. मामला प्रतिवादी के साथ इस न्यायालय के पत्र दिनांक 22.04.2015 के द्वारा उठाया गया ।

4. प्रतिवादी ने अपने पत्र क्रमांक बी–11015/3/2015'स्था.12–220 दिनांक 30.06.2015 द्वारा सूचित किया कि मुख्य अभियंता (सी एण्ड एसआरओ), सीडब्ल्यूसी, कोयंबटूर और मुख्य अभियंता (एलजीबीओ), सीडब्ल्यूसी, पटना से परामर्श करके इस मामले की परीक्षा की गई थी । मुख्य अभियंता (सी एण्ड एसआरओ), सीडब्ल्यूसी, कोयंबटूर ने सूचित किया कि शिकायतकर्ता के पिता की वहां पर नियुक्ति 28.05. 2011 को हुई थी । इसके उनके द्वारा कावेरी और दक्षिणी नदी संस्थान के अधीन कार्य करने की अपनी सम्मति देने के पश्चात्, क्योंकि वहां पर उनके संबंधित क्षेत्र में उन्हें नियमित करने के लिए रिक्ति नहीं थी जहां पर वह मौसमी खलासी के रूप मे कार्य कर रहे थे । मुख्य अभियंता (एलजीबीओ), सीडब्ल्यूसी, पटना ने सूचित किया है कि शिकायतकर्ता जोकि पटना क्षेत्र में कार्यरत थे, कोयंबटूर क्षेत्र में अपनी इच्छा से बेहतर सेवा अवसर के लिए स्किल्ड वर्क असिसटैंट (एसडब्ल्यूए) के लिए आवेदन किया । इस प्रकार यह दृष्टव्य है कि वर्तमान मामला कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन दिनांक 06.06.2014 की परिधि में नहीं आता है । शिकायतकर्ता के पिता श्री मदन कुमार साह वर्तमान में चेन्नई में इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए स्थानान्तरण/आवर्तनशील स्थानान्तरण के कारण नहीं हैं बल्कि अपनी मर्जी से बेहतर सेवा अवसरों की वजह से हैं ।

5. प्रतिवादी के पत्र सं. बी–11015/03/2015–स्था–220 दिनांक 30.06.2015 एवं शिकायतकर्ता के पत्र दिनांक 27.02.2016 के मद्देनजर मामले की सुनवाई 04.07.2016 को निर्धारित की गई ।

6. दिनांक 04.07.2016 को शिकायतकर्ता ने अपनी लिखित कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि उनकी शारीरिक विकलांगता को ध्यान में रखते हुए उन पर दया करते हुए उनके पिता का स्थानान्तरण बिहार के किसी निकटतम स्थल पर

...3/–

करवाने की कृपा की जाए ताकि उनके पिता अपनी नौकरी के पश्चात् उनका इलाज व देखरेख कर सके ।

7. प्रतिवादी के प्रतिनिधि का कहना है कि स्किल्ड वर्क एसिसटैंट (एसडब्लयूए) सीज़नल खलासी अस्थायी होते हैं । रैगूलर स्टाफ नहीं होता है । वरिष्ठता सर्किल लेने के आधार पर होती है लेकिन यहां रिक्ति नहीं थी, चेन्नई सर्किल में रिक्ति थी । चेन्नई में उनकी रेगूलर पोस्टिंग हुई है । इन्टर–सर्किल में पोस्टिंग लेने के लिए नियम बने हुए हैं । उसके लिए शिकायतकर्ता के पिता शर्तें पूरी नहीं कर रहे हैं । उसके लिए कम से कम 10 साल की निरन्तर सेवा होनी चाहिए अथवा वे दो वर्ष के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले हों । उन्हें वर्तमान सर्किल की ज्येष्ठता त्यागनी होगी । दोनों मुख्य अभियन्ताओं की सहमति होनी चाहिए । शिकायतकर्ता के पिता ने वर्ष 2011 में सेवा ग्रहण की थी । इसलिए इनका इन्टर–सर्किल ट्रांसफर नहीं हो सकता है । केन्द्रीय जल आयोग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 22.01.2014 में दिव्यांगजनों के लिए कोई छूट नहीं है । अगर यह न्यायालय इस संबंध में कोई आदेश पारित करता है तो उस पर केन्द्रीय जल आयोग द्वारा विचार किया जा सकता है ।

8. पक्षकारों को सुनने और फाइल पर उपलब्ध दस्तावेज़ों का परिशीलन करने के पश्चात् न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया कि यद्यपि प्रतिवादी ने अपने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 22.01.2014 द्वारा वर्क चार्ज्ड स्टाफ के इन्टर–सर्किल स्थानान्तरण के लिए पुनरीक्षित मानदंड (Revised creitera for Inter-circle transfer of work charged staff) की नीति बनाई है किन्तु केन्द्रीय जल आयोग में कार्यरत दिव्यांगजनों को छूट का लाभ देने के लिए उपबन्ध नहीं किया है । वर्तमान मामले में यद्यपि दिव्यांगजन अधिनियम के किन्हीं उपबंधों अथवा सरकारी दिशा–निर्देशों का उल्लंघन नहीं है तथापि प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि अपने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 22.01.2014 के पुनरीक्षित मानदंड III.(A) For Donor Circle में संशोधन करते हुए भविष्य में दिव्यांगजनों के लिए 10 वर्षों की निरन्तर सेवा के स्थान पर कुछ वर्षों की सेवा में छूट उपबंध में शामिल करें ।

9. मामले का तदनुसार निपटारा किया गया ।

(कमलेश कुमार पाण्डे)
मुख्य आयुक्त, निःशक्तजन